RNI No. RAJHIN/2001/1290

पोस्टल रजि. नं. Jodhpur/107/18-20
राजस्थान सरकार से विज्ञापन के लिए अधिस्वीकृत

भारत के उपभोक्ताओं की बुलन्द आवाज

उपभोक्ता हलचल

हिन्दी पाक्षिक

वर्ष – 19 अंक –17 प्रकाशन तिथि 1 सितम्बर 2018 जोधपुर (राज.) वार्षिक शुल्क : 120 रूपये प्रति अंक : 5 रूपये

उत्पाद एवं सेवा की गुणवत्ता पर जोधपुर मे कार्यशाला आयोजित

जोधपुर । गुणवत्ता को परखने वाले उत्तरदायी व्यक्ति यदि अपने कर्तव्यों का पूर्ण ईमानदारी के साथ निर्वहन करता तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की आवश्यकता ही नहीं पडती । यह बात राजस्थान उच्च न्यायलय के सेवानिवृत न्यायाधीपति गोपाल कृष्ण व्यास ने नेशनल एकरीडेशन बोर्ड फोर सर्टिफिकेशन बोडिज (एनएबीसीबी),क्वालिटी कॉन्सिल ऑफ इण्डिया की ओर से कन्जूयमर कॉअर्डिनेशन कॉन्सिल तथा उपभोक्ता मार्गदर्शन समिति(उमस) जोधपुर के संयुक्त तत्वाधान में 'उत्पाद एवं सेवा की गुणवत्ता विषय पर हॉटल चन्द्रा इम्पायर में आयोजित उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में कही उन्होनें आयतीत माल की गुणवत्ता के सम्बन्ध में मापदण्ड एवं क्रियान्वयन हेतु प्रभावी मापदण्ड न होने पर चिन्ता व्यक्त की। उन्होनें उपभोक्ता संगठनों के अपील की वह इस सम्बन्ध में पीडित पक्ष को न्याय दिलवाने विचार कर प्रभावी विधान हेतु सरकार को सुझाव देवें।कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही एनएबीसीबी की निदेशक शशी रेखा ने उपभोक्ताओं को गुणवत्ता पूर्ण उत्पाद तथा सेवाओं की आवश्यक्ता पर बल देते हुए उनके विभाग के कार्यक्रम को धरातल स्तर पर किए जाने तथा उपभोक्ताओं को जागरूक करने की बात कही। कार्यक्रम के विशिष्ठ अतिथि मरूधरा इन्डस्टीज एसोसियेशन के संरक्षक सुनील परिहार ने उत्पाद की गुणवत्ता तथा उसकी नकल से सावधान रहने के प्रति उपभोक्ताओं को सचेत किया। सीसीसी के अध्यक्ष अभिषेक श्रीवास्तव ने उपभोक्ताओं के राष्ट्रीय संगठन की कार्यप्रणाली से अवगत करवाते हुए, भारतवर्ष में उपभोक्ता संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता तथा कटिबद्धता व्यक्त की। उमस जोधपुर के अध्यक्ष लियाकत अली ने कहा कि उपभोक्ता की जागरूकता के लिए जागरूकता कार्यक्रमों को अभियान के रूप में चलाने तथा उसे ग्रामीण सत्र तक लेजाने की बात कही, उन्होनें कहा उमस इन कार्यक्रमों को ग्रामीण स्तर पर लिए जाने का भरसक प्रयास कर रही है। उन्होनें उपस्थित अन्य उपभोक्ता संगठन प्रतिनिधियों से इस सम्बन्ध में अधिक सक्रियता से काम करने की बात कही। कार्यक्रम के तकनिकी सत्र नेशनल एकरीडेशन बोर्ड फोर सर्टिफिकेशन बोडिज (एनएबीसीबी) की निदेशक शशी रेखा तथा सहायक निदेशक अजय जैदका ने उत्पाद एवं सेवा की गुणवत्ता से सम्बन्धित प्रावधानों पर विस्तृत प्रकाश डाला।तकनिकी सत्र के सहभागी मारूति सेवा समिति उदयपुर के अध्यक्ष प्रमोद झंवर ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण सेवा तथा उत्पाद की उपलब्धता आम उपभोक्ता के चुनौती है। इस के लिए मोनिटरिंग व्यवस्था को प्रभावी बनाए जाने की आवश्यकता है। इसी सत्र में उपभोक्ता संरक्षण समिति संगरिया (हनुमानगढ)के अध्यक्ष संजय आर्य ने कहा कि उपभोक्ता के लिए गुणवत्ता पूर्ण उत्पाद तथा सेवा प्रभावी ढंग से उपलब्ध हो तथा उसकी अनेदखी नहीं हो, इस के लिए विधिक प्रावधानों को प्रभावी बना कर उनका क्रियान्वयन किए जाने की आश्यक्ता है। उन्होनें कहा जागरूक उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है। उमस के अध्यक्ष गोविन्दसिंह ने अतिथियो का स्वागत किया ।

इस कार्यक्रम में प्रदेश के अजमेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ, फलौदी, धौलपुर, मसुदा, बिलाडा, पीपाडसिटी, लुनी, औसियॉ, लोहावट, बाप, बौरून्दा, सहित प्रदेश के अन्य जिलो से भी प्रतिनिधियो ने भाग लिया ।